**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Regarding load carrying capacity of heavy vehicles - Laid

**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) :** भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह एक वैधानिक आदेश दिनांक 16.07.2018 को पत्रांक सं. 503467 द्वारा निर्गत हुआ था, जिससे कि 20 से 25 प्रतिशत तक वाहन क्षमता में बढ़ोत्तरी की गई है। अकस्मात इस आदेश के आने से देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मैसर्स टाटा मोटर्स की जमशेदपुर एवं लखनऊ स्थित इकाइयों के उत्पादन में भारी कमी आई है। फलस्वरूप मैसर्स टाटा मोटर्स पर आश्रित आदित्यपुर (जमशेदपुर) एवं उसके आसपास अवस्थित छोटे व मझोली इकाइयों पर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप लगभग 1.5 लाख कामगार बेरोजगार हो गए हैं व 5 लाख लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर पड़ा है।

इस प्रकार के आदेश आने के बाद जिस प्रकार के तकनीकी बदलाव की जरूरत होती है उसे कार्यान्वित करने में 6 से 8 महीने का समय वाहन निर्माता कंपनी व कल-पुर्जा बनाने वाली इकाइयों/कंपनियों को लगता है। तकनीकी बदलाव के साथ-साथ इकाइयों को सरकारी संस्थानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होता है जैसे ए.आर.ए.आई.।

अत :मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय इकाइयों को बदहाली से बचाने एवं उससे जुड़े कामगारों व उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रेषित वैधानिक आदेश पर पुनर्विचार करने का कष्ट करें ताकि औद्योगिक व सामाजिक समरसता बनी रहे।